छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 160/2008

1. **श्री सुरेश नखत,** – *अपीलार्थी*
डोंगरगांव,
जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय- वन मण्डलाधिकारी,
कवर्धा वनमण्डल,
कवर्धा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव द्वारा दिनांक 03.09.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए वन मण्डलाधिकारी, कवर्धा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.11.2007 द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे, किन्तु उसके बाद भी जानकारी निर्धारित समय-सीमा में नही दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी का तर्क है कि वर्ष 1980 से अब तक की 121 कालम की विस्तृत जानकारी अपीलार्थी द्वारा माँगी गई है और उन्होंने उनको धारा-7(9) के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए सूचित कर दिया था और छुपाने का कोई प्रयास नही किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में बिन्दु क्रमांक-1, 2, 4 एवं 5 की जानकारी के संबंध में वन मण्डलाधिकारी का तर्क स्वीकार कर लिया था, किन्तु बिन्दु क्रमांक-3, 6, 7 एवं 8 के बारे में 20 दिवस में निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे । प्रकरण में अपीलार्थी ने मौखिक तर्क में बिन्दु क्रमांक-1, 2, 4 एवं 5 को छोड़ने के लिए सहमति दी गई है, किन्तु बिन्दु क्रमांक-3, 6, 7 एवं 8 की जानकारी चाही है । चूंकि वन मण्डलाधिकारी ने इस अवधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः उनके विरूद्ध

शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है, किन्तु प्रकरण में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार अब 15 दिवस के अन्दर जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त